उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ

पंजीकृत

F85506

संदर्भ संख्या.............................सी–1 / एन0ओ0सी0–1090 / 2016 |16 दिनांक 10-8-16

सेवा में,

मै0 आनन्द इन्फोएज प्रा0लि0,
कार्पोरेट आफिस – 615 – 618, 6th, फ्लोर,
ले मेरिडियन कामर्शियल टावर, रायसिना, रोड,
नई दिल्ली – 110001

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2014 का संदर्भ लें जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा वांछित बैंक गारन्टी बोर्ड में दिनांक 11.7.16 को प्रस्तुत की गई है। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि परियोजना / उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति (एन0ओ0सी0) स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:–

(क) **स्थलः**– मै0 आनन्द इन्फोएज प्रा0लि0, प्रोजेक्ट "आई0टी0 पार्क", प्लाट न0– 01, सेक्टर–143, **नोएडा, गौतमबुद्ध** नगर।

(ख) **उत्पादनः**– प्रस्तावित 100980 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल पर बिल्टअप एरिया 2,30,741.14 वर्गमीटर पर निर्माण।

ग) **मुख्य कच्चे मालः**– बिल्डिग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 537 के0एल0डी0

(ङ) **प्रयुक्त ईधनः**– 2000 के0वी0ए0 के 18 डी0जी0 सेट्स हेतु डीजल।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. परियोजना / उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. परियोजना / उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन / संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन / संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन / संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि परियोजना / उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना / उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. परियोजना / उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5. मै0 आनन्द इन्फोएज प्रा0लि0, प्रोजेक्ट "आई0टी0 पार्क", प्लाट नं0– 01, सेक्टर–143, नोएडा जो 100980 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्टअप एरिया 2,30,741.14 वर्गमीटर पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जाये।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 537 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 700 के0एल0डी0 क्षमता का एम0बी0बी0आर0 आधारित एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये।

7. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

8. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जायें।

9. म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति मे संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जायें।

10. समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।

11. संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

12. संस्था नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एव केन्द्रीय भूजल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे।

13. संस्था द्वारा पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से प्राप्त पर्यावरणीय क्लीयरेंस (dt. 8.7.2013) की शर्तो का अनुपालन किया जाये।

14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

15. अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।

17. परियोजना/उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह को परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिबोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नही डाला जायेगा।

18. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति मे यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

19. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.

20. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.

21. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debri or construction material does not get dispered in to the air or atmosphere in any form whatsoever.

22. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.

23. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

24. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.

25. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.

26. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.

27. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.

28. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

29. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.

30. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.

31. All approach roads & incampus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

32. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तो एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी सं0 003GT02161820014 दिनांक 30.6.16 रू0 10.0 लाख मात्र में वर्णित समस्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो मे संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में परियोजना/उद्योग द्वारा इस कार्यालय मे दिनांक 30.9.16 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाय। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(एस0पी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठाकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)